





## बिज़नेस स्टैंडर्ड

वर्ष 17 अंक 63

# क्षमता निर्माण

इस समाचार पत्र में सोमवार को प्रकाशित खबर के मुताबिक रेल मंत्रालय 200 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल निजी कंपनियों और फ्रेट ऑपरेटर्स को देने पर विचार कर रहा है। इस कदम का स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि इससे न केवल रेलवे की जमीन तथा अन्य परिसंपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित होगा बल्कि लॉजिस्टिक क्षेत्र की क्षमता में भी सुधार होगा। सरकार के अनुमानों के मुताबिक 200 नए टर्मिनल बनाने में करीब 12,000 से 14,000 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा। यह कदम सितंबर 2022 में घोषित नीति को और आगे ले जाएगा। उस समय केंद्र सरकार ने रेलवे की जमीन को कार्गो प्रबंधन तथा सार्वजनिक उपयोग जैसी गतिविधियों के लिए पट्टे पर देने के लिए एक नीति को मंजूरी प्रदान की थी। इस नीति में अगले पांच वर्षों में तीन गति शक्ति टर्मिनल बनाने की योजना शामिल थी।

यह नीति व्यापक तौर पर रेलवे की जमीन को दीर्घकालिक रूप से पट्टे पर देने से संबंधित है ताकि उस जमीन का इस्तेमाल 35 सालों तक कार्गो संबंधी सुविधाओं के लिए किया जाए। इसके लिए जमीन के वाणिज्यिक मूल्य का सालाना 1.5 फीसदी शुल्क तय किया गया है। यह आवंटन प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से किया जाता है और कार्गो टर्मिनल के विकास से अनुमानतः 1.2 लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। रेलवे की योजना है कि 100 टर्मिनल के पूरा होने के बाद 200 कार्गो टर्मिनल की बोली प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी कर ली जाए। फिलहाल एस 77 कार्गो टर्मिनल शुरू हो चुके हैं और इस पर करीब 5,400 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। ऐसी सुविधाओं का संचालन करने वाले कुछ बड़े नामों में कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अदागी ग्रुप, जेएसडब्ल्यू ग्रुप, इंडियन ऑयल और नायरा एनर्जी शामिल हैं।

समय के साथ 300 कार्गो टर्मिनल बनाने की नीति से रेलवे तथा समूची अर्थव्यवस्था को कई फायदे होंगे। रेलवे को इस क्षेत्र में अतिरिक्त व्यय नहीं करना होगा। सफल बोली लगाने वाले उसके निर्माण की लागत वहन करेंगे और कारोबारी जोखिम भी उन्हीं का होगा जबकि स्वामित्व रेलवे के पास रहेगा। बेहतर लॉजिस्टिक से अतिरिक्त कार्गो ट्रेफिक मिलेगा और रेलवे का राजस्व बढ़ेगा। अनुमान के मुताबिक हर नया कार्गो टर्मिनल सालाना 10 लाख टन की क्षमता वृद्धि संभावना से लैस होगा। यानी करीब 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जुटाई जा सकेगी।

अक्सर यह दलील दी जाती है कि भारतीय रेल के पास बहुत अधिक जमीन है और उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। कार्गो सुविधाओं का निर्माण करने से रेल परिसंपत्तियों का किफायती इस्तेमाल सुनिश्चित होगा। इन स्थानों पर बेहतर कार्गो सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं जिनमें कई मूल्यवर्द्धित सेवाएं शामिल हैं। इससे देश में आंतरिक व्यापार को भी गति मिलनी चाहिए। इससे क्षमता सुधरेगी और कारोबारी सुगमता में भी इजाफा होगा। लॉजिस्टिक की ऊंची लागत अक्सर कारोबारी सुगमता की राह में बड़ी बाधा होती है। हालांकि बीते कुछ सालों में सड़क अधोसंरचना में भी काफी सुधार हुआ है लेकिन रेलवे के माध्यम से माल ढुलाई अधिक किफायती है क्योंकि इसका प्रबंधन अच्छे से होता है और सुदूर संपर्क की भी कोई समस्या नहीं है। 300 कार्गो टर्मिनल का विकास और गति शक्ति प्लेटफॉर्म का डिजाइन अधोसंरचना विकास दशाता है और इससे लंबे समय से चली आ रही कुछ बाधाएं दूर हो रही हैं। भारतीय रेल के कार्गो कारोबार का काफी हिस्सा सड़क क्षेत्रों के पास चला गया है। ऐसा मोटे तौर पर उसके गैर किफायती होने तथा सड़क ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार की वजह से हुआ है। बहरहाल, कार्गो टर्मिनल का विकास तथा महत्वपूर्ण सरकारी पूंजी व्यय के साथ रेलवे की समग्र क्षमता में सुधार से उसे माल ढुलाई में खोई हुई हिस्सेदारी वापस पाने में मदद मिलनी चाहिए। इससे देश के कार्बन उत्सर्जन में भी कमी लाने में मदद मिलेगी।

# वृद्धि में बाधक श्रम नियमों पर पुनर्विचार जरूरी

## देश की आईटी राजधानी जल संकट जैसी वजहों से अखबारों की सुर्खियों में रही है। आईटी/आईटीईएस से जुड़े क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच भी असंतोष पनपने के संकेत मिल रहे हैं। बता रहे हैं के पी कृष्णन

कर्नाटक राज्य आईटी/आईटीईएस कर्मचारी संघ (केआईटीई) नाम के एक नए श्रमिक संघ ने मांग की है कि राज्य सरकार आईटी/आईटीईएस प्रतिष्ठानों को 1946 के औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम से दी गई लंबे समय से चली आ रही छूट को खत्म कर दे। कर्नाटक में आईटी और इससे जुड़ी सेवाओं के क्षेत्र में लगभग 20 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं और ऐसा लगता है कि केआईटीईयू के लगभग 10,000 सदस्य हैं।

इस श्रमिक संगठन ने कहा कि छूट के तहत नियोक्ताओं ने श्रम नियमों का उल्लंघन किया जैसे कि नियोक्ता कई घंटे की लंबी कार्यावधि लागू करते हैं लेकिन वे सुरक्षा से जुड़ी शिकायतें (यौन उत्पीड़न सहित) दर्ज करने के लिए नहीं को बेहतर तंत्र देने में विफल रहते हैं और अनुचित तरीके से श्रमिकों की कार्यसेवा समाप्त कर देते हैं।

विचाराधीन कानून विशेषतौर पर श्रमिकों को कोई सुरक्षा नहीं देता है और इसका उद्देश्य केवल पारदर्शिता के स्तर को बढ़ाना और अन्य कानूनों में श्रमिकों को दिए गए गारंटीयुक्त अधिकार से जुड़ी समझ को सुधारना है। कर्नाटक में 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को सरकार द्वारा प्रमाणित 'स्थायी आदेशों' में श्रमिकों को सेवाओं की शर्तों को संहिताबद्ध करने के साथ ही इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। यह वांछनीय भी है।

लेकिन यह कानून, कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को यह मांग करने में भी सक्षम बनाता है कि नियोक्ता कानूनी आवश्यकताओं से ऊपर उठें और सेवा की इन शर्तों को छोड़ दें। कर्मचारियों से जुड़े स्थायी आदेशों को अपनाने से पहले प्रतिष्ठानों को श्रमिक प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करने के लिए मजबूर किया जाता है। असहमति के मामले में, नियोक्ता को श्रमिक प्रतिनिधियों और सरकार के साथ त्रिपक्षीय चर्चा करनी चाहिए। इस तरह की स्थिति में नियोक्ता-कर्मचारी का संबंध फिर दो और पक्षों श्रमिक संगठनों और सरकार के साथ उलझ जाता है।

प्रमाणित स्थायी आदेशों की सामग्री को श्रमिक प्रतिनिधियों की सहमति के बिना छह महीने तक नहीं बदला जा सकता है। नियोक्ताओं को रोजगार की उन शर्तों को अपनाने के लिए कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के भारी दबाव का सामना करना पड़ता है जो किसी भी कानून के तहत अनिवार्य नहीं हैं।

उदाहरण के तौर पर केआईटीयू ने हाल ही में कार्यावधि के बाद किसी आधिकारिक संदेश को नजरअंदाज करने के अधिकार को वकालत करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया है। इसके तहत 'काम के घंटे के बाद' सहकर्मियों और विरक्तों की तरफ से भेजे गए सभी आधिकारिक संदेशों को नजरअंदाज करने का अधिकार होगा और इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

हम उन श्रमिक प्रतिनिधियों के उद्देश्यों की सराहना कर सकते हैं जो अधिक अधिकार चाहते हैं लेकिन इसके नतीजे अर्थव्यवस्था पर देखे जा सकते हैं। यह कोई संयोग की बात नहीं है कि अधिकांश क्षेत्रों में भारतीय निर्यात पर असर देखा गया है।

भारत से वस्तु निर्यात वर्ष 2012-2022 की अवधि के लिए प्रति वर्ष 1.2 प्रतिशत की चक्रवृद्धि दर से बढ़ा (यानी यह 56 वर्षों में दोगुना हो गया)। इसी अवधि में, सेवाओं का निर्यात 5.7 प्रतिशत की चक्रवृद्धि दर से बढ़ा (यानी यह प्रत्येक 12 वर्षों में दोगुना हो गया)। क्या पारंपरिक भारतीय श्रम कानून वस्तुओं के निर्यात में बाधा बना जबकि दूसरी ओर सेवा निर्यात को बढ़ने का मौका दिया गया?

भारतीय परिधान निर्माताओं को अगर भारतीय सॉफ्टवेयर निर्माताओं के समान विशेषाधिकार दिया जाए तो उनकी उपलब्धियां क्या होंगी? उदाहरण के तौर पर, काम की अवधि के बाद संपर्क में न रहने (डिस्कनेक्ट) के अधिकार पर विचार करें। भारत का आईटी/आईटीईएस क्षेत्र वैश्विक स्तर पर सभी क्षेत्रों के ग्राहकों को सेवाएं देता है जिनकी समयावधि में काफी अंतर है। ऐसे में भारतीय आईटी/आईटीईएस कंपनियों के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखना मुश्किल होगा जब कर्मचारी अपनी काम की समय-सीमा पूरी हो जाने के बाद विदेश में अपने टीम के लोगों या ग्राहकों की कॉल

लेने से इनकार करते हैं।

मौजूदा लचीले तंत्र में प्रबंधक और कामगार बीच का रास्ता खोजते हैं जो उपयुक्त हो और जहां कुछ लोग देश में रात के काम की बाधाओं को दूर करने के लिए तैयार होते हैं। इस तरह की व्यावहारिक समस्या का समाधान 'त्रिपक्षीय प्रणाली' से निश्चित रूप से बाधित होगा जिसमें उदाहरण के तौर पर श्रमिक संगठन और सरकार के साथ-साथ कंपनी और कर्मचारी भी जुड़े होंगे। क्या श्रमिक संगठनों और सरकार को असहाय कामगारों को सुरक्षा देने की जरूरत है? अब कई क्षेत्रों में भारत में शिक्षित कामगारों का एक ऐसा वर्ग है जो अपने निजी हितों का खयाल रखने में सक्षम है। जब कोई कंपनी किसी कर्मचारी के साथ सही बरताव नहीं करती है तब वह हर दशक में दोगुना हो सकता है। अगर राज्य सही फैसला लेता है तब आने वाले दशक में भारतीयों के पास निर्यात से 325 अरब डॉलर का राजस्व मिल सकता है। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना में देखा जाए तो ये आंकड़े काफी बड़े हैं। अगर इन क्षेत्रों पर सही तरीके से ध्यान नहीं दिया गया तब भारत का आर्थिक भविष्य जोखिम में होगा।

इसके अलावा हमें आखिरकार आईटी और आईटीईएस से इतर भी सोचना चाहिए। आईटी और आईटीईएस में ऐसा विशेष क्या है जिसके लिए श्रम कानूनों से जुड़ी समस्या को हल किया गया लेकिन दूसरे क्षेत्रों के लिए ऐसे कदम नहीं उठाए गए। क्या भारत में आईटी और आईटीईएस से इतर भी अन्य क्षेत्र हो सकते हैं या कोई अन्य कारोबारी सेवाएं हो सकती हैं जहां आईटी और आईटीईएस क्षेत्र जैसी ही उपलब्धियों को दोहराया जा सकता है? इस क्षेत्र को दी गई छूट एक संकेतक के तौर पर ली जानी चाहिए ताकि निर्माण सहित निवेशों को आकर्षित करने में समान तरह का लचीलापन बरता जाए क्योंकि अपरिष्कृत श्रम नियमन, कंपनियों की वृद्धि और रोजगार के मौके के लिए बाधा बतला जाते हैं।

श्रम कानूनों की संरचना को तय करते वक्त कर्नाटक जैसी सरकारों को उद्योग के बजाय कर्मचारियों की एजेंसी पर ध्यान देने की जरूरत है। श्रम कानूनों की संरचना में किसी ऐसी कंपनी के लिए समान रूप से छूट दी जा सकती है जहां 85 फीसदी से अधिक कर्मचारी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई तुरंत करके आए हैं। (लेखक पूर्व लोक सेवक और आइजैक सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी में मानद वरिष्ठ फेलो हैं)

# म्युचुअल फंड की जोखिम जांच कितनी उपयोगी?

इस वर्ष के शुरू में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने म्युचुअल फंडों को उनकी योजनाओं में रकम का अंधाधुंध प्रवाह नियंत्रित करने एवं पोर्टफोलियो में बदलाव करने के निर्देश दिए थे। नियामक ने यह निर्देश इसलिए दिया था कि बेरोक-टोक निवेश आने से बाजार में अनिश्चितता बढ़ जाती है। एक साल तक स्मॉलकैप फंडों में भारी भरकम निवेश ने बाजार नियामक चिंतित हो गया था और इसी वजह से फंड कंपनियों को ये निर्देश जारी किए गए। सेबी ने म्युचुअल फंडों को स्मॉल एवं मिडकैप फंडों के लिए जोखिम जांच (स्ट्रेस टेस्ट) शुरू करने और इसका नतीजा प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया। जोखिम जांच में तरलता (शेयरों का लेनदेन), अनिश्चितता, मूल्यांकन और पोर्टफोलियो टर्नओवर (पोर्टफोलियो में शेयर खरीदने या बेचने की रफ्तार) आदि आते हैं। सेबी ने फंड कंपनियों को दिशानिर्देश, सिद्धांत एवं विधियां सरल भाषा में बताने के लिए कहा ताकि निवेशकों को जोखिमों को ठीक ढंग से समझने में कोई परेशानी नहीं आए। संक्षेप में कहें तो इस जोखिम जांच का मकसद यह पता लगाना था कि स्मॉलकैप और मिडकैप पोर्टफोलियो को 25 प्रतिशत और 50 प्रतिशत हिस्सा बेचने में कितने दिन लग सकते हैं। रकम का प्रवाह नियंत्रित करना प्रत्यक्ष रूप से बाजार में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करना है (रकम आने से शेयरों में तेजी आती है और रकम तब आती है जब बाजार में धारणा एवं आय मजबूत रहती है) मगर जोखिम जांच एक अलग मसला है।

सेबी ने जोखिम जांच कराने के जो निर्देश दिए हैं उसके साथ तीन समस्याएं हैं। सबसे पहले जोखिम जांच तर्कसंगत नहीं लगती है। यह मान लिया गया है कि चढ़ते बाजार में होने वाले लेनदेन की दर गिरते बाजार में भी कम नहीं होगी। मगर बाजार में लेनदेन

नाटकीय ढंग से बढ़ या घट सकते हैं। ऊपर चढ़ते बाजार में कई खरीदार और बिकवाल होते हैं। मगर जोखिम बढ़ने की स्थिति में खरीदार नहीं मिलते हैं और केवल बिकवाल ही चारों तरफ नजर आते हैं। कारोबार बिल्कुल नदारद रहता है। पोर्टफोलियो का 50 प्रतिशत या 25 प्रतिशत हिस्सा बेचने में कितने दिन लगेंगे यह बात बाजार के हालात पर निर्भर करेगी। ऐसे में अगर किसी धुरंधर पोर्टफोलियो प्रबंधक ने जोखिम जांच को 'फिजूल' कहा है तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जोखिम जांच में उन विकट परिस्थितियों पर विचार नहीं किया गया है जब बाजार में अफरातफरी, असमंजस, एक दूसरे की देखादेखी और बिना सोच-विचार के निर्यात लेने का दौर शुरू हो जाता है। बड़ा से बड़ा माहिर कारोबारी भी इन परिस्थितियों में उलझ कर रह जाता है।

दूसरी अहम बात यह है कि कोई निवेशक पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बेचने में लगने वाले समय, स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा, पोर्टफोलियो टर्नओवर और प्राइस-टू-अर्निंग अनुपात जैसे मानकों को कैसे समझ पाएगा? वह क्या तय करेगा कि प्रतिकूल मानकों वाले फंड से निकलकर एक बेहतर फंड में कैसे निवेश ले जाएं? उदाहरण के लिए किसी फंड में कम मूल्यांकन वाले शेयर हो सकते हैं (जो तेजी से गिरते बाजार में कम फिसलते हैं) मगर इन्हें बेचने में लंबा समय लगता है। ऐसे में कोई निवेशक पहले फंड की खूबियों की तुलना दूसरे फंड की खामियों से कैसे करेगा? उस स्थिति में निवेशकों को अन्य मानकों जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन, पोर्टफोलियो

बीटा और टर्नओवर रेश्यो पर विचार करना होगा। क्या इन सभी मानकों को महत्व देने और सभी फंडों को बराबर तरजीह देने और कुल स्कोर की गणना करने के बाद रैंकिंग तैयार करने की जरूरत नहीं है? अगर यह सब करना बहुत पेचीदा लगता है तो फिर इन मानकों का किस तरह बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या मैं वाकई जोखिम जांच के नतीजों के आधार पर फंडों की रैंकिंग कर सकता हूँ? क्या इन मानकों पर अधिक स्कोर करने वाले फंड जोखिम समायोजित अधिक प्रतिफल देंगे? मैं यह कैसे जान पाऊंगा? क्या किसी ने यह परखने की कोशिश की है कि ये जोखिम जांच निवेश से संबंधित निर्णय लेने में कितने मददगार हैं?

अगर हम केवल एक महत्वपूर्ण कारक- पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बेचने में लगने वाला समय- पर ध्यान केंद्रित करें तो उस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए जब मैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) में दीर्घ अवधि के लिए निवेश कर रहा हूँ? स्मॉलकैप शेयरों में 82 प्रतिशत निवेश रखने वाले एसबीआई म्युचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो का 50 प्रतिशत हिस्सा बेचने में 58 दिन का समय लेगा मगर स्मॉलकैप में 83 प्रतिशत तक निवेश रखने वाला यूटीआई स्मॉलकैप फंड को केवल पांच दिनों का समय लेगा। दोनों में अंतर (हिस्सेदारी बेचने में लगने वाले समय में) इतना अधिक है कि यह तर्कसंगत नहीं लगता है (स्रोत: एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट)। तीसरी बात यह है कि सेबी उन शेयरों को स्मॉलकैप



अतार्किक विकल्प देवाशिष बसु

## आपका पक्ष

### बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए आचार संहिता जरूरी

हाल में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के उत्पाद के बारे में सामने आया कि विकसित देशों के मुकाबले भारत में उसके उत्पाद में चीनी की मात्रा कहीं अधिक है। यह तथ्य रेखांकित करता है कि कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने उत्पादों या सेवाओं के लिए विकसित और विकासशील देशों के लिए अलग-अलग मानदंड बना रखे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत की ओर बढ़ते रुझान के अनेक कारण हैं। भारत एक विस्तृत उपभोक्ता बाजार है। यह विश्व की सबसे तेज गति से विकासमान अर्थव्यवस्था है। साथ ही एफडीआई के प्रति सरकारी नीति की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पिछले कुछ दशकों में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी प्रतिबंध नीति रही है। परिणामस्वरूप कम संख्या और विशेष क्षेत्रों में ही विदेशी निवेश सीमित था। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के सरकार के निरंतर प्रयास के तहत 'मैक इन इंडिया' अभियान



कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने उत्पादों या सेवाओं के लिए विकसित और विकासशील देशों के लिए अलग-अलग मानदंड बना रखे हैं

प्रारंभ किया गया जिससे कि विदेशी कंपनियां भारत में उत्पादन करें। विदेशी कंपनियां भारत में लाभांजन के उद्देश्य से ही आती हैं। भारत में भिन्न और नवीन उत्पादों का विस्तृत बाजार है। प्रतिस्पर्धी श्रम

बाजार, विपणन और समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व अन्य प्रमुख कारण हैं, जिन्होंने विदेशी कंपनियों को भारत में आकर्षित किया है। भारत जैसे अन्य विकासशील देशों के सामने समस्या यह है कि

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

## देश-दुनिया



फोटो - पीटीआई

अफ्रीकी देश केन्या के ग्रेट रिफ्ट घाटी क्षेत्र के माई माहिउ इलाके में सोमवार सुबह एक बांध के टूटने से लगभग 40 लोगों की मौत हो गई। केन्या में बीते कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बाढ़ के कारण अब तक करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ का पानी कम होने के बाद गाद हटाने में जुटे स्थानीय लोग।

डॉ. हेमलता कर्नावट, इंद्रौर











